समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540-2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

क्रमांकः सं.वि.क / आउशि / सीखो–कमाओ / 2023–24 / 1437 दिनांक : 11 JUL 2023

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्रभारी
   समस्त अध्ययनशालाएं,
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
   इन्दौर।

2. प्राचार्य / संचालक,
   वि.वि. से सम्बद्व समस्त महाविद्यालय
   जिला–इन्दौर, खंडवा, खरगोन, धार,
   झाबुआ, बड़वानी, बुराहनपुर, अलीराजपुर।

विषय :–शासन की मंशानुरूप ''मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ'' योजना की विद्यार्थियो को जानकारी प्रदान कर उनके माध्यम से सर्व संबंधितो को इस संबंध में अवगत कराने व प्रेरित करने बाबत।

संदर्भ :–विषयांतर्गत कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्र. 826 / 354 / आउशि / शा–5'अ' / 2023 भोपाल दिनांक 01.07.2023.

महोदय / महोदया,

कृपया विषयांतर्गत जारी संदर्भित पत्र का संज्ञान लेकर शासन की मंशानुरूप उक्त योजना की जानकारी से अध्ययनरत विद्यार्थियो को अवगत कराये जाने का अनुरोध है साथ ही इस संबंध में विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनके माध्यम से उक्त योजना की जानकारी सर्व संबंधितों तक पहुचाई जाना अपेक्षित है।

धन्यवाद,

संलग्न : संदर्भित पत्र एवं योजना की संक्षिप्त जानकारी।

कुलसचिव

पृ.क्र. सं.वि.क / आउशि / सीखो–कमाओ / 2023–24 / 437 दिनांक : 11 JUL 2023

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
2. आय.टी. की विभाग की ओर प्रस्तुत कर सर्व संबंधितों को संज्ञानार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 826 / 354 / आउशि / शा–5'अ' / 2023, भोपाल, दिनांक 01 / 07 / 2023

245
दि 03/07/2023

URGENT
DR Adm

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

2. सचिव,
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश,
भोपाल ।

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय— माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में दिनांक 04 जुलाई 2023 को आयोजित "मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ" योजना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में "मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ" योजना कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 04 जुलाई 2023 को मध्यान्ह 12.00 बजे से रवीन्द्र भवन सभागार, भोपाल में आयोजित है। "मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ" योजना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, फेसबुक, लाईव, ट्वीटर, यू–ट्यूब इत्यादि के माध्यम से किया जावेगा।

कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश, सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्राचार्य, समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश से अनुरोध है कि समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य–स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की समुचित व्यवस्था की जाए। कार्यक्रम में अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति सहित संस्था के समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आमंत्रित कर सीधे प्रसारण से सम्बद्ध किया जाए।

"मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ" योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हेतु योजना से संबंधित जानकारी का फ्लेक्स 6x8 का तैयार कर प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। "मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ" योजना से संबंधित जानकारी का फ्लेक्स प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

समस्त कुलसचिव, सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, समस्त प्राचार्य, समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में शामिल होने वाले विद्यार्थियों आदि की जानकारी गूगल फार्म में दिनांक 04 जुलाई,2023 अपरान्ह 05.00 बजे तक अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण हेतु लिंक एवं गूगल फार्म पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

01/7/23

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

निरन्तर.... 2,

पृ.क्रमांक 827/354/आउशि/शा–5'अ'/2023, भोपाल, दिनांक 01/07/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, संचालक,तकनीकी शिक्षा संचालनालय,मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, चेयरमैन, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

4 जुलाई से शुरु हो रही है

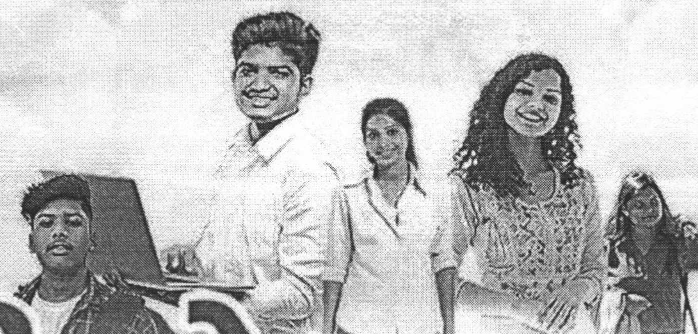

मुख्यमंत्री

सीखो-कमाओ

योजना

युवा सपने छुएंगे नई ऊंचाई
बढ़ेगा कौशल, होगी कमाई

पात्रता

- 18 से 29 वर्ष आयु
- मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी
- 12वीं/ आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च

₹ स्टाइपेंड (प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह)

- 12वीं - 8000
- आईटीआई - 8500
- डिप्लोमा - 9000
- स्नातक/ उच्च - 10000

युवाओं के हौसलों की उड़ान,
शिवराज सिंह चौहान